समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

पहलगाम हमले की जांच कर रही NIA मे कैसे निकलती है वैकेंसी ? जाने कितनी मिलती है सैलरी ।

Publisher | Published on 02 May 2025

अगर आप NIA में नौकरी पाने का सपना देख रहा हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जांच एजेंसी के अफसर बन सकते हैं. इसमें कितनी सैलरी होती है और चयन प्रक्रिया क्या है ?

इन दिनों एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सुर्खियों में है. जिसकी वजह है पहलगाम हमला. NIA को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. जिसके बाद एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है. ऐसे में देशभर के युवाओं में एनआईए को लेकर जिज्ञासा बढ़ा दी है. सवाल उठ रहे हैं आखिर एनआईए में नौकरी कैसे मिलती है ? इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ? कौन-सी परीक्षा देनी होती है ? आइए जानते हैं...

क्या है NIA और क्या करती है ये एजेंसी ?
नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) भारत सरकार की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिसे 2009 में 26/11 मुंबई हमलों के बाद स्थापित किया गया था. इसका मुख्य काम आतंकवाद, नकली करेंसी, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे बड़े मामलों की जांच करना है.

NIA में कैसे मिलेगी नौकरी ?
एनआईए में अफसर बनने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं . SSC CGL परीक्षा के जरिए, जिससे सब-इंस्पेक्टर पद मिलता है. UPSC परीक्षा के जरिए, जिससे IPS, IRS जैसे पदों पर चयन होकर NIA में पोस्टिंग मिल सकती है. इसके अलावा जो लोग पहले से किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में कार्यरत हैं, वे ट्रांसफर या डिपुटेशन के जरिए भी एनआईए जॉइन कर सकते हैं.

SSC CGL एग्जाम प्रोसेस क्या है ?
SSC CGL परीक्षा चार चरणों (Tier 1 से Tier 4) में होती है. सभी चरणों को पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू

होता है. सफल अभ्यर्थियों को NIA में ट्रेनिंग के बाद सब-इंस्पेक्टर जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है.

NIA अफसर की सैलरी कितनी होती है ?

सब-इंस्पेक्टर के रूप में एनआईए में नियुक्त अफसर को लगभग 56,100 रुपये की शुरुआती सैलरी मिलती है. इसके अलावा केंद्रीय भत्ते, यात्रा सुविधा, हाउस रेंट अलाउंस और विशेष जोखिम भत्ता भी मिलता है. साथ ही हायर पोस्ट पर सैलरी और सुविधाएं और भी बढ़ जाती हैं.

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.